

केशव कुमार गोयल बनाम सतीश चन्द अग्रवाल  
प्रा0पत्र (खा.सु. अ.) 13/2020

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 13/2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

सतीश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री केदारनाथ अग्रवाल, उम्र 48 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स कंसल एण्ड ब्रादर्स, मंडी अटलबंध, भरतपुर निवासी—अहीर मोहल्ला, नीमदा गेट, भरतपुर।

गैरसायल


प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :- 1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 24.11.2020


आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 08.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 24.11.2020 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 24.11.2020 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित

  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
भरतपुर (राज.)

आरोप सुनाया गया कि दिनांक 24.10.2019 को बाद दोपहर 02:30 बजे गैरसायल की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान में एक डी फीज में स्टील की एक बाल्टी में 10 किग्रा पनीर को आम जनता की विक्री वारंते रखे में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार मौके पर बाल्टी के पनीर में से 1 किग्रा. 280/-रूपये में कय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस-850/एक्ट/2019/828 दिनांक 16.12.2019 द्वारा उक्त मिश्रित पनीर का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर की मिश्रित पनीर का आम जनता को विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडैक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योंकि प्रार्थी काफी समय से दूधियों से दूध लेकर पनीर का निर्माण करके विक्रय करता चला आ रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। अतः गैरसायल के प्रति नरम रुख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 24.10.2019 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित 10 किग्रा. पनीर का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 16.12.2019 में अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा दूधियों से दूध लेकर विक्रय करना बताया। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थों का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायल के

  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
भरतपुर (राज.)

केशव कुमार गोयल बनाम सतीश चन्द्र अग्रवाल  
प्रा0पत्र (खा.सु. अ.) 13/2020

व्यापार परिसर पर 10 किग्रा. पनीर ही वक्त जांच संग्रहित पाया गया है। गैरसायल छोटे स्तर का व्यापारी है। क्योंकि उसके पास मात्र 10 किग्रा. पनीर ही व्यापार परिसर पर संग्रहित पाया गया है तथा दौराने निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी 1 किग्रा. पनीर 280/- रुपये में क्रय किया है। इससे स्पष्ट है कि व्यापार परिसर पर संग्रहित 10 किग्रा0 पनीर की कीमत मात्र 2800/- रुपये होती है तथा गैरसायल के विरुद्ध वर्ष 2013 में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा इस्तगासा पेश किया गया था जिसमें गैरसायल को 5,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया जिसको दौराने सुनवाई गैरसायल ने स्वीकार किया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गैरसायल पूर्ण सजगता से पनीर का निर्माण नहीं करता है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता दूसरी बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 24.11.2020 को सारे इजलास सुनाया गया।

  
(बीना महावर)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
भरतपुर (राज.)